

**कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
जालौन, स्थान-उरई।**

पत्रांक-84 / सा0प्रशा0 / विविध / 2020

दिनांक: 19 जून, 2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब हो जाने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त प्रकरणों से सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है;

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377, दिनांक-06 अप्रैल, 2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत सन्तुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जालौन जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	बंगरा-रेढ़र-नावली मार्ग	बंगरा से नावली	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
2	कमसेरा-खकसीस-क्योलारी-कोंच मार्ग	कमसेरा से पंचानन चौराहा कोंच	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
3	कोंच-नदीगाँव	पंचानन चौराहा कोंच से नदीगाँव	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा

4	कुठौन्द-बंगरा नहर पटरी मार्ग	कुठौन्द से बंगरा नहर पटरी मार्ग	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
5	क्योलारी-कुदारी-बंगरा मार्ग	क्योलारी से बंगरा मार्ग	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
6	उरई-इटौरा मार्ग	उरई बस स्टैण्ड से इटौरा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
7	सोमई-हरदोई गूजर मार्ग	सोमई से हरदोई	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
8	कुरकुरु-सैदनगर मार्ग	कुरकुरु से सैदनगर	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
9	एट-कोटरा मार्ग	एट से कोटरा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
10	उरई-कोटरा मार्ग	कोंच बस स्टैण्ड उरई से कोटरा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
11	उरई-ऐर खास टीकर मार्ग	उरई से टीकर	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
12	मुहम्मदाबाद-ऐर कैनाल पटरी मार्ग	मुहम्मदाबाद से ऐर कैनाल	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
13	मुहम्मदाबाद-गुड़ा मार्ग	मुहम्मदाबाद से गुड़ा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
14	कोंच-कैलिया मार्ग	कोंच से कैलिया	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
15	एट-कोंच मार्ग	एट से कोंच	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
16	समथर-पीपरी कला मार्ग	समथर से पीपरी कला मार्ग	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
17	कोंच-महेशपुरा मार्ग	कोंच से महेशपुरा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
18	एनएच-25 से एनएच-25 तक वाया जेल मार्ग गोहानी नाला सेतु	कोंच बस स्टैण्ड उरई से गोहानी नाला सेतु	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
19	एनएच-25 से उरई-चुर्खी मार्ग	उरई से चुर्खी	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
20	उरई-चुर्खी से जालौन मार्ग	उरई से जालौन वाया चुर्खी	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
21	उरई-जालौन से उरई-कोंच मार्ग	उरई से कोंच	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
22	उरई-कोंच मार्ग	उरई से कोंच	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
23	एनएच-25 का छूटा भाग (एट व गिरथान का छूटा भाग)	एनएच-25 का छूटा भाग (एट व गिरथान का छूटा भाग)	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
24	एनएच-25 का शहरी भाग	एनएच-25 का शहरी भाग	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा

25	बंगरा-जगमनपुर मार्ग	बंगरा से जगमनपुर	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
26	माधौगढ़-ऊँचा मार्ग	माधौगढ़ से ऊँचा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
27	माधौगढ़-कुठौन्द मार्ग	माधौगढ़ से कुठौन्द	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
28	रामपुरा थाना-गोहन मार्ग	रामपुरा थाना से गोहन	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
29	जालौन-चुर्खी मार्ग	जालौन से चुर्खी	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
30	जालौन-चुर्खी मार्ग	जालौन से चुर्खी	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
31	कदौरा-इकौना मार्ग	कदौरा से इकौना	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
32	कदौरा-चतजुला से बेटवाघाट मार्ग	कदौरा-चतजुला से बेटवा घाट	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
33	हररौयपुर-मंगरौल मार्ग	हररौयपुर से मंगरौल	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
34	हमीरपुर-कालपी मार्ग से चंदर्सी मार्ग से बसरेही मार्ग	हमीरपुर-कालपी मार्ग से चंदर्सी मार्ग से बसरेही मार्ग	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
35	आटा-इटौरा मार्ग	आटा से इटौरा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
36	आटा-चुर्खी मार्ग	आटा से चुर्खी	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
37	उरई-चुर्खी मार्ग	उरई से चुर्खी	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
38	इटौरा-बबीना मार्ग	इटौरा से बबीना	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
39	कालपी-मंगरौल मार्ग	कालपी से मंगरौल	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
40	चुर्खी-सिम्हारा मार्ग	चुर्खी से सिम्हारा	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
41	सिरसा-भदेख मार्ग	सिरसा से भदेख	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
42	कालपी-राठ मार्ग	कालपी से राठ मार्ग उरई	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
43	कालपी-मदारीपुर मार्ग	जोल्हपुर से मदारीपुर	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा
44	जालौन-कौंच मार्ग	जालौन से कौंच	40 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	60 किमी. प्रति घण्टा	50 किमी. प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई.आर.सी. कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि

- वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेड्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—
- अ) अग्नि शमन वाहन।
 - ब) एम्बुलेंस।
 - स) पुलिस वाहन।
 - द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
 - य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम-3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा-112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-1377, दिनांक-06 अप्रैल, 2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,
(सोमनाथ सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद-जालौन।

पृष्ठांकन सं०: उपरोक्तानुसार/समदिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, जालौन।
4. पुलिस अधीक्षक, जालौन।
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिसाषी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जालौन।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कानपुर/झाँसी (पश्चिमी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद-जालौन।